सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 64/18 **निर्णय दिनांकः 23.2.2018**

1. गोस मोहम्मद पुत्र श्री जमालदीन जाति मुसलमान निवासी सुभाषपुरा बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–04–2006
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 138–04–2006 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व से ही गजट में प्रकाशित रकबा भूमिहीन में आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को दिनांक 20–03–1984 को भूमि आवांटन का पात्र धोषित किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 4 एस.एम. के

मुरब्बा नम्बर 199/64 के किला नम्बर 8 ता 25 की 18 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 24—03—2002 को किया गया व आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। लेकिन उक्त भूमि पूर्व में ही भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन के इतने वर्ष पश्चात् अपीलांट का आवंटन सुओमोटो इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उक्त भूमि मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अदालत मातहत को पूर्व में ही सुनिश्चित करना चाहिए था कि आराजी जैर आवंटन से पूर्व निर्विवाद रूप से उपलब्ध थी अथवा नहीं? अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष समय—समय पर उपस्थित होता रहा है तथा उक्त आराजी के एवज में अन्य आराजी के आवंटन हेतु कथन किया जाता रहा है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—04—2006 के विरूद्व अपील दिनांक 25—01—17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का

कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—04—2006 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 25—1—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर चक 4 एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 199/64 के किला नम्बर 8 ता 25 की 18 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन की गई। अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया । अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही अपीलांट के आवंटन का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया क्योंकि उक्त भूमि मोहरबंद गजट में आरक्षित भूमि थी। **उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा दिनांक 18—04—2006 को चक 5 एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 199/64 की 18 बीघा अनकमाण्ड भूमि का किया गया आवंटन इस आधार पर निरस्त किया गया कि आराजी जैर विशेष गजट में प्रकाशित है इसलिए सामान्य आवंटन में आवंटित नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण सुओमोटोरिव्यू किया जाकर अपीलांट का आवंटन निरस्त किया जाता है।**

(3) प्रकरण में आवेदक आवंटी को आवंटन सहालकार समिति द्वारा आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटन योग्य भूमियों व श्रेणी तथा वर्गीकरण का विवरण विभागिय

कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराया गया उपधारित है। आवंटी को आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन अधिकारी की अनुशंसा के बाद जॉच ही सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में भूमि का पात्र मानते हुए आराजी जैर का आवंटन किया गया है।

(4) पत्रावली के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा भूमि का कब्जा हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाते रहे व कार्यालय में चक्कर लगाने के बाद वर्ष 2006 में यकायक ज्ञात होता है कि उक्त भूमि विशेष श्रेणी की है, सामान्य आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है, तथा उक्त भूमि मोहरबन्द गजट में आरक्षित है। इसलिए अपीलांट को सामान्य श्रेणी में आवंटित उक्त भूमि निरस्त की जाती है। यह एक घोर अन्याय व विभागीय लापरवाही का उदाहरण है।

(5) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(6) जब अदालत हाजा के समक्ष उक्त तथ्य प्रस्तुत हो चुके है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का कृतव्य है कि अपीलांट के विरूद्व हुई इसप्रकार की अनियमितता के संबंध में न्यायोचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं किया जाना व अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम रहते हुए अपीलांट को विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

(7) अपीलांट का आवंटन बतौर भूमिहीन के बजाय मोहरबन्द श्रेणी की भूमि का किया जाना साबित है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया जबकि अपीलांट की पात्रता

कायम है। चूंकि अपीलांट को मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः पैरा संख्या 6 के बिन्दु संख्या 1 से 7 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—04—2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता अनुसार भूमिहीन श्रेणी की भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर